

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 57/2017

दायर दिनांक: 26.06.2017

## उनवान

1. रामचरण पुत्र ग्यारस्या आयु 60 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

वादी

## बनाम

1. कान्हा पुत्र नारायण आयु 70 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर ।
2. मथुरा पुत्र नारायण आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर ।
3. मोतीलाल पुत्र नारायण आयु 62 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर ।
4. रामरतन पुत्र नारायण आयु 55 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर ।
5. गंगाबाई नारायण पत्नि कजोड़ आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर हाल निवासी सारौल खुर्द तहसील खानपुर जिला झालावाड राज० ।
6. बाबू पुत्र मन्ना आयु 50 वर्ष जाति माली
7. रामकरण पुत्र मन्ना आयु 45 वर्ष जाति माली
8. छोट्या पुत्र मन्ना आयु 42 वर्ष जाति माली
9. ओम पुत्र मन्ना आयु 40 वर्ष जाति माली
10. ब्रजमोहन पुत्र मन्ना आयु 38 वर्ष जाति माली निवासीगण बानपुर तहसील अटरू
11. पारवती बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि रामचन्द्र जाति माली निवासी बानपुर हाल निवासी ग्राम मोईकला तहसील पो० मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज० ।
12. सीता बाई पुत्री मन्ना पत्नि रतिराम आयु 60 वर्ष माली निवासी बानपुर हाल निवासी डोबडा सुमर तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
13. समुन्द्रा पुत्री मन्ना पत्नि जगदीश आयु 48 वर्ष धकडियां पाडा बारां जिला बारां ।
14. लक्ष्मा पुत्री मन्ना पत्नि रामरतन आयु 44 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर हाल निवासी घाटा बमोरी पो० घाटा बमोरी तहसील छीपा बडौद जिला बारां ।
15. प्रभू पुत्र उद्धा आयु 80 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

16. बजरंगा पुत्र ग्यारस्या आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।
17. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।
18. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0) ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 53 आर टी एक्ट**

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बट्टीलाल नागर ।

प्रतिवादीगण:-विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार ।

**निर्णय**

दिनांक 23/01/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 14.08.2013 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश की पालना में तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जिसकी पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/1336 दिनांक 26.11.2019 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिससे उभयपक्षकारान सहमत है ।

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम निर्णय किया जाकर विवादित आराजी ग्राम एवं माल बानपुर तहसील अटरू हाल खसरा नं0 250 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 251 रकबा 0.21 है0 ख0नं0 481 रकबा 1.56 है0 ख0नं0 534 रकबा 0.52 है0 ख0नं0 537 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 632 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 633 रकबा 0.61 है0 ख0नं0 675 रकबा 1.04 है0, ख0नं0 676 रकबा 0.73 है0 ख0नं0 677 रकबा 1.42 है0, ख0नं0 678/789 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 530 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 531 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 532 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 533 रकबा 0.22 है0 कुल 15 किता की 8.29 है0 आराजी में वादी को 1/10 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. वादी रामचरण पुत्र ग्यारस्या जाति माली निवासी बानपुर हिस्सा 1/10 खाते में निम्न आराजी रहेगी ।

ख0नं0	रकबा	किस्म	दर	लगान
481 दक्षिण	0.83	माल 2	9	7.47
किता 1	0.83	-	-	7.47

2. प्रतिवादी कन्हैयालाल, मोतीलाल पुत्र नारायण, गंगाबाई प्रेम पुत्री नारायण हिस्सा 4/30 चमेली बाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/30 रूकमणी बाई पत्नि देवलाल हिस्सा 1/30 बाबू, रामकरण छोटूलाल, ओमप्रकाश, बृजमोहन पुत्र मन्ना पारवती सीता अयोध्या समुन्द्र लक्ष्मीबाई पुत्री मन्ना पाना पत्नि स्व० मन्ना हिस्सा 1/5 प्रभूलाल पुत्र उदा हिस्सा 1/5 बालमुकन्द पुत्र गोविन्दा चौथमल, भैरूलाल पुत्र जानकीलाल भंवरी बाई द्वारका बाई पुत्रियां जानकीलाल, चम्पाबाई पत्नि स्व० जानकीलाल नन्दकिशोर गिर्राज पुत्र कैलाश बाई सुमित्रा बाई पुत्री कैलाश बाई हिस्सा 1/5 बजरंगलाल पुत्र ग्यारसीराम हिस्सा 1/10 जाति माली सा० देह खातेदार रहन एस०बी०आई० शाखा अटरू हिस्सा प्रभूलाल, रामकरण, छोटूलाल, ओमप्रकाश, पारवती, सीता, अयोध्या, समुन्द्रा लक्ष्मीबाई, पाना, कन्हैयालाल, गंगाबाई रहन एस० बी० आई० शाखा अटरू बालमुकन्द रहन आई० डी० बी० आई० बैंक अटरू हिस्सा चमेली बाई कोम माली सा० देह के खाते में दर्ज रहेगी।

ख०नं०	रकबा	किस्म	दर	लगान
250	0.40	बरानी-2	6	2.40
251	0.21	बरानी-2	6	1.26
481	0.73 उत्तर	माल-2	9	6.57
530	0.06	जाव-1/0.02	17	0.34
		चाही-1/0.04	35	1.40
531	0.59	जाव-1/0.24	17	4.08
		चाही-1/0.35	35	12.25
532	0.15	जाव-1/0.06	17	1.02
		चाही-1/0.09	35	3.15
533	0.22	जाव-1/0.09	17	1.53
		चाही-1/10.13	35	4.55
534	0.52	जाव-3/0.24	10	2.40
		चाही-3/0.28	19	5.32
537	0.64	जाव -3/0.25	10	2.50
		चाही-3/0.39	19	7.41
633	0.61	चाही 1	35	21.35

675	1.04	माल 2	9	9.36
676	0.73	माल 2	9	6.57
677	1.42	माल 2	9	12.78
678 / 789	0.13	माल 2	9	1.17
किता 14				7.45
				107.41

उपरोक्तानुसार वादी/प्रतिवादी का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादी/प्रतिवादी के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 57/2017

उनवान

1. रामचरण पुत्र ग्यारस्या आयु 60 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. कान्हा पुत्र नारायण आयु 70 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर।
2. मथुरा पुत्र नारायण आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर।
3. मोतीलाल पुत्र नारायण आयु 62 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर।
4. रामरतन पुत्र नारायण आयु 55 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर।
5. गंगाबाई नारायण पत्नि कजोड़ आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर हाल निवासी सारौल खुर्द तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0।
6. बाबू पुत्र मन्ना आयु 50 वर्ष जाति माली
7. रामकरण पुत्र मन्ना आयु 45 वर्ष जाति माली
8. छोट्या पुत्र मन्ना आयु 42 वर्ष जाति माली
9. ओम पुत्र मन्ना आयु 40 वर्ष जाति माली
10. ब्रजमोहन पुत्र मन्ना आयु 38 वर्ष जाति माली निवासीगण बानपुर तहसील अटरू
11. पारवती बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि रामचन्द्र जाति माली निवासी बानपुर हाल निवासी ग्राम मोईकला तहसील पो0 मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
12. सीता बाई पुत्री मन्ना पत्नि रतिराम आयु 60 वर्ष माली निवासी बानपुर हाल निवासी डोबडा सुमर तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
13. समुन्द्रा पुत्री मन्ना पत्नि जगदीश आयु 48 वर्ष धकडियां पाडा बारां जिला बारां।
14. लक्ष्मा पुत्री मन्ना पत्नि रामरतन आयु 44 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर हाल निवासी घाटा बमोरी पो0 घाटा बमोरी तहसील छीपा बडौद जिला बारां।
15. प्रभू पुत्र उद्दा आयु 80 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
16. बजरंगा पुत्र ग्यारस्या आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
17. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
18. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 53 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण:-विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बानपुर तहसील अटरु हाल खसरा नं० 250 रकबा 0.40 है०, ख०नं० 251 रकबा 0.21 है० ख०नं० 481 रकबा 1.56 है० ख०नं० 534 रकबा 0.52 है० ख०नं० 537 रकबा 0.64 है०, ख०नं० 632 रकबा 0.01 है०, ख०नं० 633 रकबा 0.61 है० ख०नं० 675 रकबा 1.04 है०, ख०नं० 676 रकबा 0.73 है० ख०नं० 677 रकबा 1.42 है०, ख०नं० 678/789 रकबा 0.13 है०, ख०नं० 530 रकबा 0.06 है०, ख०नं० 531 रकबा 0.59 है०, ख०नं० 532 रकबा 0.15 है०, ख०नं० 533 रकबा 0.22 है० कुल 15 किता की 8.29 है० आराजी में वादी को 1/10 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. वादी रामचरण पुत्र ग्यारस्या जाति माली निवासी बानपुर हिस्सा 1/10 खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख०नं०	रकबा	किस्म	दर	लगान
481 दक्षिण	0.83	माल 2 9		7.47
किता 1	0.83		—	7.47

2. प्रतिवादी कन्हैयालाल, मोतीलाल पुत्र नारायण, गंगाबाई प्रेम पुत्री नारायण हिस्सा 4/30 चमेली बाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/30 रूकमणी बाई पत्नि देवलाल हिस्सा 1/30 बाबू, रामकरण छोटूलाल, ओमप्रकाश, बृजमोहन पुत्र मन्ना पारवती सीता अयोध्या समुन्द्र लक्ष्मीबाई पुत्री मन्ना पाना पत्नि स्व० मन्ना हिस्सा 1/5 प्रभूलाल पुत्र उदा हिस्सा 1/5 बालमुकन्द पुत्र गोविन्दा चौथमल, भैरूलाल पुत्र जानकीलाल भंवरी बाई द्वारका बाई पुत्रियां जानकीलाल, चम्पाबाई पत्नि स्व० जानकीलाल नन्दकिशोर गिराज पुत्र कैलाश बाई सुमित्रा बाई पुत्री कैलाश बाई हिस्सा 1/5 बजरंगलाल पुत्र ग्यारसीराम हिस्सा 1/10 जाति माली सा० देह खातेदार रहन एस०बी०आई० शाखा अटरु हिस्सा प्रभूलाल, रामकरण, छोटूलाल, ओमप्रकाश, पारवती, सीता, अयोध्या, समुन्द्रा लक्ष्मीबाई, पाना, कन्हैयालाल, गंगाबाई रहन एस० बी० आई० शाखा अटरुबालमुकन्द रहन आई० डी० बी० आई० बैंक अटरु हिस्सा चमेली बाई कोम माली सा० देह के खाते में दर्ज रहेगी।

ख०नं०	रकबा	किस्म	दर	लगान
250	0.40	बरानी-2	6	2.40
251	0.21	बरानी-2	6	1.26
481	0.73 उत्तर	माल-2	9	6.57
530	0.06	जाव-1/0.02	17	0.34
		चाही-1/0.04	35	1.40
531	0.59	जाव-1/0.24	17	4.08
		चाही-1/0.35	35	12.25
532	0.15	जाव-1/0.06	17	1.02
		चाही-1/0.09	35	3.15
533	0.22	जाव-1/0.09	17	1.53
		चाही-1/10.13	35	4.55
534	0.52	जाव-3/0.24	10	2.40
		चाही-3/0.28	19	5.32

537	0.64	जाव -3/0.25	10	2.50
		चाही-3/0.39	19	7.41
633	0.61	चाही 1	35	21.35
675	1.04	माल 2	9	9.36
676	0.73	माल 2	9	6.57
677	1.42	माल 2	9	12.78
678/789	0.13	माल 2	9	1.17
किता 14	7.45			107.41

उपरोक्तानुसार वादी/प्रतिवादी का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादी/प्रतिवादी के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावे।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.01.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

